

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—20 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अलखराम पुत्र ऊलखू नि० भिटिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—273/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. शेखा पासी पुत्र स्व० रामधनी नि० इकनिया माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—268/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. प्रमोद उर्फ ननके पुत्र बुधिराम नि० गोपालपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—315/20, 02. पवन कुमार पुत्र स्व० बांके नि० दलपतपुर खटिकन पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—316/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. सुनील कन्नौजिया नि० विफई नि० सिसई रानीपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—230/20, 02. प्रेम मोहन पुत्र हरि राम नि० सिसई रानीपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—231/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राम सजीवन पाण्डेय पुत्र परमेश्वर दत्त पाण्डेय नि० जमुआ थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—332/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राजू पुत्र राम गनेश नि० विशनोहरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब बरामद कर मु०अ०सं०—343/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**07. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. शोभाराम पुत्र छेदी नि० रसूलपुर थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—380/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**08. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. तिलक राम पुत्र सतई राम, 02. विजय पुत्र जगदम्बा नि० मंशापुरी कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—683/20, 03. सूरज सोनकर पुत्र स्व० युगुल, 04. रघुनाथ पुत्र सतई नि० खैरा मंशापुरी कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20

ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-684/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 05. सुरेन्द्र प्रसाद उर्फ ननके पुत्र कन्हैया लाल नि० देवरिया चूड़ामणि थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-685/20, 06. राज कुमार उर्फ कुआंरे पुत्र राम लगन नि० मानदेय थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-686/20, 07. संजय सोनकर पुत्र तिलक राम सोनकर नि० खैरा मंशापुरी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-687/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### **09. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. बोधे पुत्र खेलावन पासी नि० रामपुर टेंगरहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-281/20, धारा 60 आबकारी अधि०, 02. ओम प्रकाश पुत्र सुग्रीव नि० नईपुरवा सेझिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 02 किलो० यूरिया व 01 किलो० नौसादर बरामद कर मु०अ०सं०-282/20, धारा 60 आबकारी अधि० व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **मारपीट करने के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने मारपीट करने के 03 वांछित अभियुक्तों-01. रामधीरज यादव पुत्र स्व० भगौती यादव, 02. बड़के यादव पुत्र रामधीर यादव, 03. छोटके यादव पुत्र रामधीर यादव निवासीगण मधईपुर कुर्मी मोल्हू पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-180/20, धारा 308. 323.504 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगणों ने जमीनी विवाद के चलते वादी दयाराम यादव पुत्र रामकिशुन यादव नि० मधईपुरवा मौजा कुर्मी मोल्हू पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा व उसके परिजनो को गाली-गुप्ता देते हुए मारा पीटा था। जिससे वादी मौके पर बेहोश हो गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना परसपुर में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मधईपुरवा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### **अपहरण करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद-**

गोण्डा शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने अपहरण करने के वांछित अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार नि० डिविसर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०-188/20, धारा 363.366.506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भाग ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## थाना छपिया ने अवैध तमंचों के साथ 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अनिलधर द्विवेदी पुत्र शिवमंगल नि0 सैजलपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. संदीप कुमार पुत्र रामलाल नि0 रानीजोत थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—346/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—347/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10/11.09.2020 की रात्रि थाना छपिया के उ0नि0 डोरीलाल गंगवार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्तों को धर्मदासपुर तिराह के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01—01 अदद अवैध तमंचा मय 01—01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार।
02. का0 सचिन यादव।
03. का0 हरिपाल।

## थाना छपिया ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. गोविन्द वर्मा पुत्र रामकुबेर वर्मा नि0 महुली कोरी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—348/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 11.09.2020 को थाना छपिया के उ0नि0 राजकुमार मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को धानेपुर मोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 राजकुमार।
02. का0 रामू सिंह।

## थाना को0 नगर ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अजय कुमार चौहान पुत्र मोनू पुत्र विनोद कुमार चौहान नि0 करौदा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—688/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 11.09.2020 को थाना को0 नगर के उ0नि0 गोपाल सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को पटेलनगर घोसियाना मोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 नगर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 गोपाल सिंह।
02. उ0नि0 छैल बिहारी।
03. का0 मनोज यादव।
04. का0 गिरिराज।

## थाना मनकापुर ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. विवेक त्रिपाठी पुत्र सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी नि0 गायत्री नगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—330/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10.09.2020 को थाना मनकापुर के उ0नि0 अभिषेक भदौरिया मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को मनकापुर तहसील मोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अभिषेक भदौरिया।
02. हेड का0 गिरीजेश गिरी।
03. का0 रूपेश पटेल।

## थाना मोतीगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अशोक कुमार बरूवार पुत्र गंगाराम नि0 मतवरिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—238/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 11.09.2020 को थाना मोतीगंज के उ0नि0 जय प्रकाश मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को नई बाजार छजवा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 जय प्रकाश।
02. का0 का0 विजय बहादुर यादव।
03. का0 यशवन्त यादव।

## 700 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. जगराम यादव पुत्र स्व० छविलाल यादव नि० नरेशवा मौजा जिगना थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—331/20, धारा 8/21, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 700 ग्राम अवैध चरस।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10.09.2020 को थाना मनकापुर के उ०नि० राकेश कुमार ओझा मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को मनवर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 700 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना मनकापुर में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० राकेश कुमार ओझा।

02. का० रामजी शुक्ला।

03. का० अजय सिंह।

## थाना छपिया ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. दिलीप मिश्रा पुत्र सुग्रीव मिश्रा नि० सकदरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—344/20, धारा 8/21, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 450 अल्प्रासेफ टेबलेट।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10.09.2020 को थाना छपिया के उ०नि० कन्हैया दीक्षित मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बहद ग्राम सकदरपुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 450 अल्प्रासेफ टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना छपिया में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० कन्हैया दीक्षित।

02. का० राहुल।

## थाना मोतीगंज ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अर्जुन सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह नि० बेनीपुर हर्दोपट्टी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—239/20, धारा 8/21, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।

### बरामदगी—

01. 500 अल्प्रासेफ टेबलेट ।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 11.09.2020 को थाना मोतीगंज के उ०नि० विजय कुमार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को टपरहवा गांव मोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 500 अल्प्रासेफ टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना मोतीगंज में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० विजय कुमार ।
02. का० अंगद यादव ।
03. का० अशुतोष शर्मा ।

**सराहनीय कार्य**  
**दिनांक 11.09.2020**  
**पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा**

➔ **अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—:**

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

01. सुबहान अली पुत्र इंसान अली नि0 बाबागंज बेलवाभान थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी विवरण—**

01. 02 अदद तमंचा 315 बोर
02. 01 अदद तमंचा 12 बोर
03. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
04. शस्त्र बनाने के उपकरण।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0-163/20, धारा 3/5(1)/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

**घटना का संक्षिप्त विवरण –**

जनपद गोण्डा में अवैध शस्त्र की तस्करी व उनके निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने अवैध असलहों के निर्माण व बिक्री में संलिप्त 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

दिनांक 11.09.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि असलहा तस्करी व निर्माण में संलिप्त **सुबहान अली पुत्र इंसान अली** भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का कार्य ककरहा पुरवा के पास स्थित बाग में कर रहा है। मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर थाना कौड़िया पुलिस द्वारा दबिश देकर उक्त अभियुक्त को **गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने के उपकरण बरामद किये गये।**

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह काफी दिनों से अवैध असलहों का निर्माण व बिक्री कर रहा है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कौड़िया पर आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

01. थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह।
02. का0 मिथिलेश यादव।
03. का0 अरुण यादव।
04. का0 आदित्य राय।
05. का0 चन्द्रकेश भास्कर।